# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

**पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव** R.A.S.

**प्रार्थना पत्र संख्या :– 05/2020** **.दायर तारीख :– 04-08-2020**

1. गुल्ला पुत्र सुरजा
2. गोकुल } पुत्रान शंकर } समस्त जाति अहीर निवासी मैड तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
3. नाथू

*—: प्रार्थीगण*

*बनाम*

1. सतीश कुमार पुत्र हनुमानसहाय जाति स्वामी निवासी तेवडी तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर राज0।
3. उप पंजीयक, तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

*— अप्रार्थीगण*

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

उपस्थित :– श्री घनश्याम गुर्जर, अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री अवधेश कुमार शर्मा, सुरेश कुमार रैगर, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1
पैरोकार सरकार

*निर्णय*

*निर्णय दिनांक :– 08.12.2020*

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृत अधिनिय 1955 की धारा 251–क की उप धारा (2) के अधीन अनुज्ञा का आवेदन पत्र पेश किया कि वाके ग्राम मैड के हाल आराजी खसरा नम्बर 835, 836, 823/1, 823, 824, 824/1, 849, 851, 856, 856/1 हैक्टेयर प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2074–2077 है, तथा प्रार्थीगण अपनी आराजी में आने–जाने हेतु अप्रार्थी संख्या के खसरा नम्बर 745/2 में दक्षिणी डोल के सहारे–सहारे 4.5 मीटर चौडाई में प्रार्थीगण के खसरा नंबर 836 तक रास्ता चाहा है। प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण का अपनी खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए उक्त रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण की अत्यान्तिक आवश्यकता है तथा प्रार्थीगण की भूमि में पहूंचने के लघुतम तथा निकटतम स्थिति है। प्रार्थीगण के द्वारा कालित रास्ता को जो कि हाल नक्शा ट्रेस में सीमाकिंत दर्शित किया गया है, उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में रास्ता के रूप में अभिलिखित किया जाना तथा अप्रार्थीगण की उक्त भूमि के संबंध में खातेदारी निवादित किया जाना न्यायसंगत है, इसके संबंध में प्रार्थी उचित एवं न्यायसंगत प्रतिकर संदाय करने हेतु तैयार है।
2. प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नक्शा ट्रेस ग्राम मैड़, नकल जमाबन्दी ग्राम मैड़ खाता संख्या 1125 संवत्

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

2074–2077, नकल जमाबन्दी ग्राम मैड़ खाता संख्या 190 संवत् 2074–2077, नकल जमाबन्दी ग्राम मैड़ खाता संख्या 188 संवत् 2074–2077, नकल जमाबन्दी ग्राम मैड़ खाता संख्या 195 संवत् 2074–2077, नकल जमाबन्दी ग्राम मैड़ खाता संख्या 196 संवत् 2074–2077, नकल जमाबन्दी ग्राम मैड़ खाता संख्या 189 संवत् 2074–2077, फोटो प्रति नक्शा ट्रेस ग्राम मैड आदि पेश किये।

**3.** पत्रावली बाद जांच दर्ज पंजीका कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 जरिए अधिवक्ता उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित।

**4.** अप्रार्थी संख्या 1 की तरफ से जवाब प्रार्थना पत्र में कथन रहे कि प्रार्थीगण ने अपने खसरा नंबर 835, 836, 823/1, 823, 824, 824/1, 849, 851, 856, 856/1 वाके ग्राम मैड में काश्त के लिए रास्ते की आवश्यकता गलत अंकित की है, क्योंकि प्रार्थीगण के पास प्रस्तावित मार्ग के अलावा पहले से ही वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। प्रार्थीगण ने वैकल्पिक रास्ता होने के बावजूद गलत रूप से रास्ता प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है, जबकि खसरा नंबर 836 के अलावा अन्य कोई भी खसरा संख्या 835, 836, 823/1, 823, 824, 824/1, 849, 851, 856, 856/1 वाकै ग्राम मैड में चाहे गये खसरा संख्या 745/2 में से रास्ता प्राप्त करने के पश्चात भी पंहुचा नहीं जा सकता है। प्रार्थीगण के पास पहले से मौजूद रास्ता जिसका उपयोग उपभोग करते हुए प्रार्थीगण अपने आराजी भूमि की काश्त करते है। खसरा संख्या 686 आम रासता के उत्तरी दिशा से खसरा नंबर 738, 739, 740, 741, 742, 743, 753/5820 लगते हुए आम रास्ता के नंबर है जो आपस में जुडे हुए है तथा खसरा नंबर 747 खसरा भूमि तक यह रास्ता चालू है जो पूर्व दिशा की ओर बने हुए मकानात जिस तरफ प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि भी स्थित है तक रास्ता चालू है। प्रार्थीगण अपने आराजी खसरा संख्या 836 में पंहुच के लिए चालू रास्ता जो कि 747 खसरा तक है तथा इसके बाद खसरा संख्या 834 की पश्चिम सीमा से उत्तर–दक्षिण से भी प्राप्त कर सकता जो कि उसके सबसे नजदीक है। प्रार्थीगण ने बेवजह अप्रार्थी को जान परेशान करने की नियति से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है प्रार्थीगण के रास्ते की आवश्यकता पहले से ही पूरी हो रही है। प्रार्थीगण ने गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। यह है कि अप्रार्थी ने अपनी आराजी के चारों और तारबन्दी कर रखी है तथा अप्रार्थी के दक्षिण में स्थित खातेदार ने अपनी भूमि के चारों ओर तारबन्दी कर रखी है लेकिन दक्षिण दिशा के खातेदार ने अपनी तारबन्दी के समय अपनी भूमि का कुछ हिस्सा डौल के रूप में जो कि करीब दो फुट चोडा है, छोडकर तारबन्दी कर रखी है लेकिन अपनी भूमि में काश्त करने के लिए साधन लाना ले जाना इस दो फुट में से संभव नहीं है, काश्त के लिए प्रार्थीगण खसरा नंबर 747 तक आने वाले दर्ज रिकॉर्ड रास्ते का व बाद में चालू रास्ते का उपयोग करते है। यह है कि अप्रार्थी की भूमि में किसी प्रकार का कोई चालू रास्ता नहीं है, बल्कि प्रार्थीगण के पास पहले से वैकल्पिक

उपखण्ड अधिकारी
बिराटनगर (जयपुर)

रास्ता मौजूद है, इसलिए प्रार्थना पत्र बिना किसी कारण से प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। यह है कि प्रार्थीगण किसी प्रकार के अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, ऐसे में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन हे कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

**5.** अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने समर्थन मे दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी ग्राम मैड़ खाता संख्या 1125 संवत् 2074–2077, नकल जमाबन्दी ग्राम मैड़ खाता संख्या 1127 संवत् 2074–2077, नकल जमाबन्दी ग्राम मैड़ खाता संख्या 1128 संवत् 2074–2077, नकल जमाबन्दी ग्राम मैड़ खाता संख्या 800 संवत् 2074–2077, नकल जमाबन्दी ग्राम मैड़ खाता संख्या 428 संवत् 2074–2077, नकल जमाबन्दी ग्राम मैड़ खाता संख्या 1 संवत् 2074–2077 (पृष्ठ–3), फोटो प्रति नक्शा ग्राम मैड, फोटो रास्ते की जो पहले से वैकल्पिक रास्ता है आदि पेश किये।

**6.** तहसीलदार विराटनगर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई।

**7.** बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई।

**8.** पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा बहस वकुलाय पर मनन किया गया। मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2074–2077 में दर्ज खसरा नम्बरान 835, 836, 823/1, 823, 824, 824/1, 849, 851, 856, 856/1 हैक्टेयर प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 के खसरा नम्बरान 745/2 हैक्टेयर की दक्षिणी डौल के सहारे–सहारे रास्ता चाहा गया है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का तर्क रहा कि प्रार्थीगण के आवाजाही हेतु चाहे गये रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है तथा निकटतम रास्ता अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 745/2 की भूमि में से है। प्रकरण में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 की तरफ से प्रस्तुत राजीनामें अनुसार अप्रार्थीगण से प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते के बदले प्रतिफल राशि 1,00,000 (एक लाख रूपये ) प्राप्त करना बताया है। तथा अप्रार्थी संख्या 1 मुताबिक मौका रिपोर्ट रास्ता देने हेतु सहमत है।

**9.** मुताबिक तहसीलदार विराटनगर से प्राप्त प्रस्ताव में कथन रहे कि ग्राम मैड़ के उक्त खसरा नंबर के पंहूच हेतु रास्ते हेतु ग्राम मैड के आराजी खसरा नंबर 745/2 रकबा 0.63 हैक्टेयर भूमि का मौका देखा गया, मौके पर सम्पूर्ण भूमि पड़त है। खसरा नंबर 836 वगैरह में आने–जाने हेतु प्रार्थीगणों के द्वारा खसरा नंबर 745/2 की दक्षिणी सीमा पर बने अस्थाई रास्ते का उपयोग लिया जा रहा है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगणों हेतु अन्य कोई निकटतम या वैकल्पिक रास्ता नहीं है। उक्त रास्ते की लंबाई 50 मीटर तथा चौडाई 4 मीटर कुल रकबा 0.02 हैक्टेयर यानि 200 वर्गमीटर प्रभावित है। उक्त खसरा नंबर अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

**10.** समस्त तथ्यों के अवलोकन के उपरान्त मै, इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि प्रार्थीगण को अपनी आराजी में आने–जाने का रास्ता नहीं है तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहा गया रास्ता मात्र जोत के सुविधापूर्ण उपयोग–उपभोग के लिए नहीं है, बल्कि रास्ता आत्यन्तिक आवश्यकता है। मौकास्थिति को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 745/2 में 50 मीटर लंबाई एवं 4 मीटर चोडाई कुल 200 वर्गमीटर अर्थात कुल 0.02 हैक्टेयर कीमतन रास्ता दिया जाना सुविधाजनक एवं सर्वसुलभ है। प्रार्थना पत्र मे चाहा गया रास्ता उपयुक्त एवं सुविधाजनक, युक्तियुक्त व फिजीबल है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित पाता हूँ।

## आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वाकै ग्राम मैड़ तहसील विराटनगर मे स्थित अप्रार्थी संख्या 1 खातेदारी खेत खसरा नम्बर 745/2 में से 50 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई कुल 200 वर्गमीटर की भूमि को प्रार्थीगण के पक्ष में रास्ते के उपयोग हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारों का अवसान किया जाता है तथा गैरमुमकीन रास्ता घोषित किया जाता है। अप्रार्थीगण को सदैव के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्त सार्वजनिक रास्ते मे किसी प्रकार की, किसी भी रूप में, किसी के भी माध्यम से बाधा उत्पन्न नहीं करें, किसी भी रास्ते के उपयोग–उपभोग से नहीं रोके। तहसीलदार विराटनगर राजस्व रिकार्ड मे अमल करें, नक्शे मे आवश्यक तरमीम करें, मौके पर पालना करना सुनिश्चित करें, साथ ही रास्ता की भूमि पर सीमा चिन्ह कायम करें।

**निर्णय आज दिनांक 08.12.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।**

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराट नगर, जयपुर

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)